# न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

## हकियत वाद–110 / 2019

रणधीर सिंह वगैरह.................................वादीगण

बनाम

मनोरमा देवी वगैरह............................................प्रतिवादीगण

03.05.24 अभिलेख आज वादीगणों की ओर से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–02.02.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। इस आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं है।

वादीगणों ने यह निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं0–3 वरुण सिंह की मृत्यु दिनांक–17.06.2023 को अपनी विधवा, दो पुत्र तथा दो पुत्रियों को छोड़कर हो गई है। अतः वादपत्र से उनका नाम विलोपित करते हुए उनके विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद के प्रतिवादी सं0–3 वरुण सिंह आवश्यक पक्षकार हैं तथा उनकी उपस्थिति वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक है। उनकी मृत्यु के संबंध में वादी ने तिथि दिनांक–17.06.2023 अंकित की है जबकि आवेदन दिनांक–02.02.2024 को दाखिल किया गया है जो स्पष्ट रूप से कालबाधा से ग्रसित है जिसके संबंध में कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। अतः आवेदन कालबाधा से ग्रसित होने के कारण खारिज किया जाता है तथा अभिलेख दिनांक– 05-07-2024 वास्ते विधिक बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियत किया जाता है।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।